उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

(8)

आर0 एम0 ए0 नं0 – 104/2011–12

श्याम सोरेन

बनाम्

पुष्पा मरांडी वगैरह

आदेश

तिथि 28.1.2020

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया।

वर्त्तमान अपीलवाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता श्याम सोरेन वो संतलाल सोरेन पेसरान स्व0 छोटका सोरेन सा0–अमजोरा, थाना–सुन्दरपहाड़ी, जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा के आर0ई0आर0 केश नं0 90/2007–08 में दिनांक–03.02.2012 के पारित आदेश के विरूद्ध अपीलवाद दायर किया है। निम्न न्यायालय के द्वारा आदेश दिनांक–03.02.2012 के द्वारा अपीलकर्त्ता के आवेदन को खारिज किया गया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा अमजोरा, थाना नं0–4, जामबंदी सं0–7 गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में धनाय सोरेन के नाम से दर्ज है। जमाबंदी रैयत धनाय सोरेन को तीन पुत्र क्रमशः मंगल सोरेन उर्फ पिन्टु सोरेन, छोटका सोरेन एवं दुर्गा सोरेन हुए। दुर्गा सोरेन की शादी घर जमाई के रूप में ग्राम दिग्घीबथान में हुआ एवं वह वहीं रहने लगे। मंगल सोरेन ग्राम किसनगंज में रहते हैं, क्योंकि वहां पर मंगल सोरेन एवं छोटका सोरेन ने मिलकर जमीन खरीदा है। अपीलकर्त्ता स्व0 छोटका सोरेन के पुत्र हैं। उनका आगे कथन है कि उक्त जमाबंदी सं0–7 में कुल रकवा 17–04–04 धुर है, लेकिन विवाद मात्र दाग नं0–742 रकवा 01–10–11 धुर जमीन को लेकर है। उत्तरवादी कोमोली मुर्मू स्व0 पिटर मराण्डी की विधवा पत्नि है, उनका वादगत जमीन के जमाबंदी रैयत के परिवार से कोई सम्बंध नहीं है। वे बाहरी व्यक्ति हैं। सामुएल चार्ल्स मरण्डी मौजा अमजोरा के प्रधान थे। उनके पिता राम मरण्डी भी मौजा के प्रधान थे और वे बहुत चतुर व्यक्ति थे। उन्होने प्राधिकार से मिलकर अपीलकर्त्ता के जमीन मौजा अमजोरा के जमाबंदी सं0–7, दाग नं0–742 रकवा 01–10–11 धुर जमीन का जाली बदलानामा कागजात तैयार करवाया एवं अपीलकर्त्ता के जमीन पर दावी करने लगा। लेकिन वर्त्तमान तसदीक सर्वे में उनके दावा को खारिज किया गया एवं अपीलकर्त्ता के नाम दाग नं0–742 की जमीन के सारी

जमाबंदी का जमीन दर्ज किया गया। क्योंकि पूरे जमाबंदी की जमीन का मालगुजारी अपीलकर्त्ता के द्वारा दिया जाता है। उनका आगे कहना है कि उत्तरवादी की ओर से आज तक किसी भी न्यायालय में बदलैन सम्बंधित दाग नं0 350 एवं 381 का पर्चा दाखिल नहीं किया है। सत्य यह है कि दाग नं0 350 एवं 381 की जमीन जमाबंदी संख्या 15 की जमीन है एवं जमाबंदी सं0 15 की जमीन गत सर्वे में रतु किस्कू वगैरह के नाम से दर्ज है। राम मरण्डी ने धनाय सोरेन के साथ जालसाजी कर वर्ष 1927 का बदलानामा कागजात तैयार किया है और उसी के आधार पर उत्तरवादी के द्वारा दाग नंबर 742 रकवा 1–10–11 धुर पर दावा किया जा रहा है। उत्तरवादी का दावा जाली कागजात के आधार पर है। इसलिए उत्तरवादी का दावा स्वीकार्य योग्य नहीं है एवं अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा के द्वारा बिना जाँच किये उत्तरवादी के पक्ष में आदेश पारित करते हुए अपीलकर्त्ता के आवेदन खारिज किया गया। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा के आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन को स्वीकार करने के लिए अनुरोध किया है।

प्रक्रिया के दौरान उत्तरवादी कोमोली मुर्मू की मृत्यु हो गयी। उनके स्थान पुष्पा मरण्डी वो रीता मरण्डी वो जोसेफ मरण्डी(नाबालिक) सभी माता स्व0 कोमोली मुर्मू एवं पिता स्व0 पिटर मरण्डी को उनके आवेदन पर प्रतिस्थानी पक्षकार बनाया।

उत्तरवादी का कथन है कि अपीलकर्त्ता का अपील आवेदन काल्पनिक है। अपीलकर्त्ता ने गलत तथ्यों के आधार पर अपील आवेदन दाखिल किया है, जो चलने योग्य नहीं है। उनका आगे कथन है कि अपीलकर्त्ता ने अपील आवेदन इस आधार पर दाखिल किया है कि खोजबीन करने पर पाया गया कि मौजा अमजोरा के जमाबंदी संख्या–7, दाग नंबर–742, रकवा 1–10–11 धुर जमीन जमाबंदी रैयत धनाय सोरेन के नाम से गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में दर्ज है एवं उसी तथ्यों के आधार पर अपीलकर्त्ता ने उक्त जमीन से उत्तरवादी को उच्छेद करने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय में आवेदन दाखिल किया था। उत्तरवादी की ओर से अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा के न्यायालय में कारण पृच्छा दाखिल किया है कि वादगत जमीन दाग नंबर–742, रकवा 1–10–11 धुर जमीन उत्तरवादी के पूर्वज राम मरण्डी को वर्ष 1927 ई में अपनी जमीन दाग नंबर–350 एवं 381 की जमीन के बदले में जमाबंदी रैयत धनाय सोरेन से प्राप्त हुआ था और तब से लगातार दोनो पक्ष एक दुसरे के जमीन पर बदलनामा के आधार पर दखलकार है। राम मरण्डी की मृत्यु वर्ष

(7)

1940 ई0 में हुई। उसके बाद उत्तराधिकारी के आधार पर सामुएल चार्लीस मरण्डी, बैद्यनाथ मरण्डी एवं पोलुस मरण्डी उक्त जमीन पर दखलकार हुए। धनाय सोरेन ने उक्त जमीन वापस पाने के लिए वर्ष 1943 ई में टाईटल सूट नं0 19/1943 दाखिल किया था। उक्त वाद में दोनो पक्षें की गवाही के बाद उक्त वाद के आवेदक के आवेदन को खारिज किया गया। उसके बाद उस टाईटल सूट के आदेश के विरूद्ध कोई भी अपीलवाद दायर नहीं किया गया। बल्कि 25 वर्ष के बाद वर्ष 1969 ई0 में हुल झारखण्ड के अध्यक्ष के माध्यम से छोटका सोरेन ने उपायुक्त दुमका के यहाँ आवेदन दिया। उपायुक्त दुमका ने आवेदन का निष्पादन करने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा को भेजा। छोटका सोरेन के उक्त आवेदन के आधार पर उत्तरवादी के पूर्वज सामुएल चार्लीस मरण्डी को उच्छेद कर जमीन वापस करने के लिए स्पेशल रे0मीस केश नं0 81/69–70 दायर किया था। उत्तरवादी के पूर्वज के वादगत जमीन पर दखल के आधार पर छोटका सोरेन के आवेदन के आदेश दिनांक–05.03.1974 के द्वारा खारिज किया गया था। चुँकि उत्तरवादी के पूर्वज वादगत जमीन पर 1927 के बदलनामा के आधार पर दखलकार थे एवं वर्ष 1927 में संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) अधिनियम 1949 लागू नहीं था। उस समय सेटलमेंट रेगुलेशन 1872 लागू था और 1872 के 18(a) एवं (c) के अनुसार लगातार 12 वर्ष तक भूमि पर दखलकार होने पर प्रतिकूल प्रभाव से दखल के आधार पर दखलकार रैयत को भूमि पर हक प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार प्रमाणित हो गया कि अपीलकर्त्ता ने पूर्व निर्णीत उसी विषय से सम्बंधित वाद को पुनः लाया है। उत्तरवादी ने अपीलकर्त्ता के आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता से मंतव्य प्राप्त है। उनका मंतव्य है कि उत्तरवादी ने निम्न न्यायालय को दिग भ्रमित कर तथ्यों को छुपाकर उक्त आदेश को अपने पक्ष में कराया गया है, जो विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त तथ्यों एवं अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा ने पूर्वन्याय (Resjudicata) के सिद्धांत के आधार पर अपीलकर्त्ता के आवेदन को खारिज किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने अपने आदेश दिनांक–30.02.2012 में उल्लेख किया है कि छोटका सोरेन के द्वारा वादगत जमीन मौजा अमजोरा दाग नं0–742, रकवा 01–10–11 धुर जमीन से सामुएल चार्लीस मरण्डी को उच्छेद करने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा के न्यायालय में वाद दायर किया था। उक्त वाद में अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा ने आदेश दिनांक–05.03.1974 के

द्वारा उक्त वाद के आवेदक छोटका सोरेन के आवेदन पत्र को खारिज किया गया था। उसी पूर्व निर्णित वाद को पुनः लाया है। निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि इसके पूर्व अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय में उत्तरवादी के पूर्वज को उच्छेद करने के लिए स्पेशल रे0मीस केश नं0 81/69–70 (छोटका सोरेन बनाम सामुएल चार्लीस मरण्डी) के बीच इसी विवाद के विषय से सम्बंधित वाद दायर किया गया। उक्त वाद में आदेश दिनांक–05.03.1974 के द्वारा छोटका सोरेन का आवेदन को खारिज किया गया है। उसी पूर्ववती वाद से संबंधित वाद को पुनः निम्न न्यायालय में लाया गया और निम्न न्यायालय ने उसी आदेश के आलोक में पूर्व न्याय के सिद्धान्त के आधार पर अपीलकर्त्ता के आवेदन को खारिज किया गया है। इस आलोक में निम्न न्यायालय का आदेश विधि विरूद्ध प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर निम्न न्यायालय के आदेश का समर्थन करते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज किया जाता है।

लिखीया एवं शुद्ध किया।

28/11/2020

उपायुक्त,
गोड्डा।

28/11/2020

उपायुक्त,
गोड्डा।

DY No.
04/06

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2022.11.21 17:07:32 +05:30
Location: 172.17.208.1